

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

कार्यालय आदेश

रांची, दिनांक.....०१.....अक्टूबर, 2012

संख्या :- 3/प्रोन्नति-201/2011 का.....<sup>265</sup>...../ झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 7 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित उच्च वर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गम की तिथि से झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक के पद (वेतनमान PB - II, रू0 9300-34800/-, ग्रेड पे0 रू0 4600/-) पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 6 में अंकित विभाग/कार्यालय में सहायक के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. स.	कोटि क्रमांक	उच्च वर्गीय लिपिक का नाम	आरक्षण कोटि	वर्तमान पदस्थापन का विभाग/कार्यालय	नव पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	46 A	श्री मनोज कुमार	सामान्य	महाधिवक्ता कार्यालय	महाधिवक्ता कार्यालय
2	175	श्री रमेश सिंह	सामान्य	गृह विभाग	गृह विभाग
3	176	श्री आमोद कुमार	सामान्य	वित्त विभाग	वित्त विभाग
4	177	श्री राजन बैठा	अ0जा0	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
5	178	श्री दिलीप कुमार	सामान्य	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	परिवहन विभाग
6	179	श्री अब्दुल खबीर अहमद	सामान्य	श्रम नियोजन एवं प्रशि0 विभाग	श्रम नियोजन एवं प्रशि0 विभाग
7	180	श्री प्रणव कुमार पण्डा	सामान्य	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग
8	181	श्री मिथिलेश कुमार	सामान्य	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग
9	182	श्री मुकेश चौधरी	अ0जा0	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग
10	183	श्री मनोज कुमार	सामान्य	निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहकारिता विभाग
11	184	श्री कृष्ण कुमार राम	अ0जा0	अर्थ एवं सा0निदे0, योजना एवं विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग
12	185	श्री उदय कुमार	सामान्य	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग
13	186	श्री अमित सिन्हा	सामान्य	वाणिज्यकर विभाग	वाणिज्यकर विभाग
14	187	श्री कृष्णा प्रसाद	सामान्य	वाणिज्यकर विभाग	वाणिज्यकर विभाग
15	188	श्री अरविन्द कुमार	अ0जा0	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	जल संसाधन विभाग
16	189	श्री अनुज कुमार	अ0जा0	वन एवं पर्यावरण विभाग	नगर विकास विभाग
17	190	श्री मनोज कुमार	अ0जा0	मानव संसाधन विकास विभाग	मानव संसाधन विकास विभाग
18	191	श्री लालबंद चौधरी	अ0जा0	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
19	192	श्रीमती विश्वासी मिंज	अ0ज0जा0	राजस्व पर्षद	राजस्व पर्षद
20	193	श्री अशोक कुमार	अ0जा0	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची	पंचायती राज एवं एन0आर0 ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग



21	194	श्री संजीत भुईया	अ0ज0जा0	वन एवं पर्यावरण विभाग	वन एवं पर्यावरण विभाग
22	195	श्रीमती पुष्पा लकड़ा	अ0ज0जा0	पंचायती रा0 एवं एन0 आर0ई0 पी0 वि0 प्र0 विभाग	स्वास्थ्य, चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
23	197	श्रीमती तारामती	अ0जा0	निबंधन विभाग	निबंधन विभाग
24	198	श्री संतोष कुमार	सामान्य	का0प्र0सु0तथा राजभाषा विभाग	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
25	201	श्री प्रकाश कुमार वर्मा	सामान्य	वित्त विभाग	जल संसाधन विभाग
26	202	सुश्री पुष्पा दुडू	अ0जा0जा0	वित्त विभाग	वित्त विभाग
27	203	श्री आनन्द मोहन	सामान्य	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
28	204	श्री वीरेन्द्र कुमार राय	सामान्य	वित्त विभाग	पथ निर्माण विभाग
29	205	श्री संजय कुमार सिंह	सामान्य	पथ निर्माण विभाग	स्वास्थ्य, चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
30	207	श्री संतोष कुमार	सामान्य	सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग
31	208	श्री अनिल कुमार	सामान्य	पथ निर्माण विभाग	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
32	210	सुश्री कुमारी रेखा	सामान्य	वित्त विभाग	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
33	90	श्री दिलीप कुमार सिंह	सामान्य	वित्त विभाग	वित्त विभाग
34	100	श्री दशरथ प्रसाद	सामान्य	वित्त विभाग	वित्त विभाग
35	147	श्री महानन्द शर्मा	सामान्य	वित्त विभाग	मानव संसाधन विकास विभाग
36	159	श्री संतोष कुमार झा	सामान्य	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग
37	163	श्री राजबहादुर सिंह	सामान्य	वित्त विभाग	वित्त विभाग

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा।

3. उक्त प्रोन्नति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 5386 दिनांक 07.09.2011 के द्वारा निर्गत झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा की उच्च वर्गीय लिपिक कोटि की अन्तिम वरीयता सूची के आधार पर दी गई है।

4. उक्त सभी सहायक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 229 दिनांक 24.10.2011 के आलोक में अपने पदस्थापित विभागों में योगदान की तिथि से प्रथम चार सप्ताह के लिए प्रशिक्षण के अधीन रहेंगे, तत्पश्चात इनके संस्थागत प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग से की जायेगी।

5. उक्त सभी सहायक अपने योगदान के तिथि से परीक्ष्यमान रहेंगे।

ह0/-

(योगेन्द्र दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3/प्रोन्नति-201/2011 का.....265...../ रांची, दिनांक...01.....अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/संबंधित कोषागार एवं सभी संबंधित नवप्रोन्नत सहायको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशासी विभाग/कार्यालय से अनुरोध है कि अपने-अपने अधीनस्थ नवप्रोन्नत सहायकों को पदस्थापित विभाग में सहायक के पद पर योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित करने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव।